

## नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, देवरिया ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के सम्मानित आदेश दिनांक-21.05.2024 के अनुपालन मे बरड़ीहादल मठ के अन्तर्गत मौजा बरड़ीहादल बाग एवं मौजा डम्बरपुर बाग मे आम के पेड़ पर लगे फल की नीलामी, वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु दिनांक 30.05.2024 को अपराह्न 01.00 बजे दीवानी न्यायालय परिसर के दस कक्षीय न्यायालय भवन मे स्थित केन्द्रीय सभागार कक्ष में नीलामी समिति जजी, देवरिया की देखरेख मे सम्पन्न होगी।

उक्त बरड़ीहा दल मठ के वर्णित मौजो में जिला उद्यान अधिकारी देवरिया द्वारा निरीक्षण कर मुल्यांकन आख्या प्रेषित किया गया है। मुल्यांकन आख्या के अनुसार कुल 40 देशी आम व 41 महुआ के पेड़ पाये गये है, जिसमे से 23 आम के पेड़ो से आंशिक फलत के फलस्वरूप अनुमानित 12 कुन्टल आम उत्पादित होना सम्भावित है। जिला उद्यान अधिकारी देवरिया एवं कृषि उत्पादन मण्डी समिति, देवरिया द्वारा आम के फलो की दर मु0 3500–4000 प्रति कुन्टल लगाया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा अनुमानित मुल्यांकन मु0 42000/-रु0 (बयालिस हजार रुपये मात्र) बताया गया है को आधार मानकर बोली प्रारम्भ की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निम्न शर्तों के अधीन नीलामी की बोली मे भाग ले सकते है।

### नीलामी की शर्तें

- 1— नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने से पूर्व प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बरड़ीहा दल मठ में उक्त वर्णित वृक्षो पर लगे फल हेतु निर्धारित धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि मु0 4200/-रु0 (चार हजार दो सौ रुपये मात्र), बतौर जमानत के रूप मे कार्यालय नजारत जजी देवरिया मे जमा करना होगा। बिना जमानत की धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति नीलामी मे भाग नही ले सकता है। जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा मे संबंधित व्यक्ति/बोलीकर्ता को वापस कर दिया जाएगा ।
- 2— बरड़ीहा दल मठ में वर्णित आम के वृक्षो पर लगे फल की नीलामी मे समिलित होने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को आपराधिक इतिहास से संबंधित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3— कोई भी व्यक्ति/ठेकेदार किसी दूसरे व्यक्ति/ठेकेदार के लिए तब तक बोली नही बोल सकता, जब तक की नीलामी में अनुपस्थित व्यक्ति/ठेकेदार का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो ।
- 4— उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की 20 प्रतिशत धनराशि

नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अग्रिम धनराशि के रूप में तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा करना होगा । जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी ।


5- प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6- जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी में भाग लेने का हकदार नहीं होगा ।


7- नीलामी में भाग लेने/बोली बोलने वाले व्यक्ति दिनांक 30.05.2024 को कार्यालय नजारत जजी, देवरिया में पूर्वान्ह 10.00 बजे तक समर्त प्रपत्रों के साथ जमानत की धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

8- नीलामी समिति जजी देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें।

9- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी ।


सदस्य,  
  
22-05-24  
(विवेक कुमार सिंह-II),  
नीलामी समिति,  
जजी, देवरिया ।

सदस्य,  
  
22-05-2024  
(संजय कुमार सिंह-III),  
नीलामी समिति,  
जजी, देवरिया ।

अध्यक्ष,  
  
22/05/2024  
(छाया नैन),  
नीलामी समिति,  
जजी, देवरिया ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड पर चर्चा किये जाने हेतु प्रेषित किया जाय :-

- 1- सिस्टम ऑफिसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, देवरिया को जनपद न्यायालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- 2- जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु ।
- 3- कलेकट्रेट देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु ।
- 4- जिला परिषद देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु ।
- 5- अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चर्चा हेतु ।
- 6- जिला सूचना अधिकारी को उक्त नीलामी की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कर कार्यालय नजारत जजी, देवरिया को प्रेषित किये जाने हेतु ।
- 07- वरडीहा दल मठ के चौकीदार को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु ।

सदस्य,  
  
22-05-24  
(विवेक कुमार सिंह-II),  
नीलामी समिति,  
जजी, देवरिया ।

सदस्य,  
  
22-05-2024  
(संजय कुमार सिंह-III),  
नीलामी समिति,  
जजी, देवरिया ।

अध्यक्ष,  
  
22/05/2024  
(छाया नैन),  
नीलामी समिति,  
जजी, देवरिया ।